

15-12-22 वकील वादी द्वारा राजस्व वाद एवं
राजस्व प्रार्थना- पर को Not Proceed
करने बाबत जाण पत्र पस्तुत करने पर
पत्रावली तलब की गयी वकील प्रार्थी
ने प्रकरण में Not Proceed जाहिर किया।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना- पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार लेकर
नम्बर से कम हो।

अपराध अधिकारी
कानपुर (अजमेर)

Not Proceed
वादी

